न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–09 / 2023

1. जवाहर सिंह पुत्र सुखदेवाराम निवासी ग्राम ढाका की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

वादीगण,

बनाम

1. अरूण उम्र 27 वर्ष पुत्र दलीप सिंह
2. कुलदीप उम्र 35 वर्ष पुत्र दलीप सिंह
3. गिरवर सिंह उम्र 52 वर्ष पुत्र झाबर सिंह
4. छोटी देवी उम्र 71 वर्ष पत्नि झाबर सिंह
5. सुमन देवी उम्र 46 वर्ष पुत्री झाबर सिंह
6. तेजु देवी उम्र 69 वर्ष पत्नि दलीप सिंह
7. प्रेम सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र दलीप सिंह
8. भगवान सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र सांवला
9. महेश कुमार उम्र 46 वर्ष पुत्र दलीप सिंह
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाका की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

10 हल्का पटवारी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

11 उप पंजियक तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

12 तहसीलदार सीकर ग्रामीण जिला सीकर (भूमिधारक)

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री प्रभातीलाल, वकील वादी की ओर से।
2. श्री रामनिवास रायल,वकील प्रति0 संख्या 3 व 4 की ओर से।

:*निर्णयः*: दिनांकः–24/05/2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादी ने विभाजन हेतु मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्व ग्राम ढ़ाका की ढ़ाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नं 349 रकबा 3.51 है0, खसरा नं 350 रकबा 3.9 है0, खसरा नं 351 रकबा 3.65 है0, कुल किता 3 रकबा 10.69 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 9 की सह खातेदारी भूमि है। जिसका वर्षों पूर्व बाहामी विभाजन हो गया था परन्तु खाता सामलाती है। जिस कारण वादी को अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में समस्या होती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इत्यादि।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को तलब किया ततपश्चात् नांक 06.06.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सीकर ग्रामीण को नियम 18 से 21 ो पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाने हेतु निर्देशित किया।

तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.अ./24/120 दिनांक 11/01/2024 को विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। जो दिनांक 08/05/2024 को शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सूनी। पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा तहसीलदार (भू.अ.) सीकर ग्रामीण द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान को नोटिस जारी किये है तथा असालतन तामील हुई है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नं 349, 350, 351 राजस्व ग्राम ढ़ाका की ढ़ाणी तहसील सीकर ग्रामीण की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के पिता एवं 6 के पति झाबर सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 एवं भंवरलाल पुत्र दिलीप सिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वाद पत्र की मद पत्र संख्या 2 के अनुसार भंवरलाल पुत्र दिलीप सिंह (अविवाहित) मृत्यु को प्राप्त होने एवं उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस माता तीजू देवी प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकारान अंकित है जिसका कोई प्रतिवाद नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य किया गया विभाजन को विभाजन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित कर एवं पृष्ठ संख्या 3 पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जिससे न्यायालय संतुष्ट है एवं पक्षकारान भी सहमत है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किया जाने योग्य है।

:आदेश:

परिणामतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2024/120 दिनांक 11/01/2024 निर्णय एवम् अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सीकर ग्रामीण अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर